रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092022-238798
CG-DL-E-14092022-238798

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 613]	नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 13, 2022/भाद्र 22, 1944
No. 613]	NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2022/BHADRA 22, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली,12 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 693(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्र सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 के खंड (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है। इसको उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा-प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल, परिवहन और टोल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या ईमेल: comments-morth@gov.in, के माध्यम से भेजा जा सकता है।

विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

1. (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... ...संशोधन) नियमावली, 2022 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (यहां इसके पश्चात् उक्त नियम के रूप में उल्लिखित) के नियम 52 में,

(1) "मोटर वाहन के स्वामी" शब्दों के पश्चात् "या पंजीकृत वाहनों के अधिकृत डीलर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(2) एक व्याख्यात्मक पैराग्राफ अंत:स्थापित किया जाएगा, "पंजीकृत वाहनों का कोई अधिकृत डीलर एक ऐसा डीलर होगा जो पंजीकृत वाहनों की बिक्री या खरीद में शामिल होने के लिए अधिकृत है।"

3. उक्त नियमावली में नियम 53 के उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1) यदि किसी समय, पंजीकरण प्रमाण पत्र खो जाता या नष्ट हो जाता है, तो मोटर वाहन का स्वामी या पंजीकृत वाहनों का अधिकृत डीलर उस राज्य, जहां वाहन वर्तमान में पंजीकृत है, के किसी भी पंजीकरण प्राधिकारी को लिखित रूप में इस तथ्य की सूचना देगा।"

4. उक्त नियमावली के नियम 55 के उप-नियम (1) में "हस्तांतरणकर्ता" शब्द के स्थान पर "मोटर वाहन के स्वामी या पंजीकृत वाहनों के अधिकृत डीलर" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. उक्त नियमावली के नियम 55 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् -

"55क. पंजीकृत वाहनों के डीलरों की प्राधिकृति -

1. कोई भी व्यक्ति, जिसके पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र 29ख में जारी किए गए वैध प्राधिकृति प्रमाण पत्र के बिना, किसी पंजीकृत वाहन के डीलर के रूप में कार्य नहीं करेगा।

2. पंजीकृत वाहन की बिक्री के लिए प्राधिकृति प्रमाण पत्र प्रदान करने या नवीनीकरण के लिए आवेदन नियम 81 में निर्दिष्ट उचित शुल्क के साथ प्रपत्र 29क में पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकरण प्राधिकारी, जिसके अधिकार क्षेत्र में व्यवसाय का स्थान है, को किया जाएगा।

3. उप-नियम (2) के तहत कोई आवेदन प्राप्त होने पर, पंजीकरण प्राधिकारी, यदि संतुष्ट है, तो इस तरह के आवेदन के प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाउनलोड और प्रिंट करने योग्य प्रपत्र 29ख में आवेदक को प्राधिकृति प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। यदि आवेदन का निपटान उक्त तीस दिनों की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो आवेदन को स्वीकृत माना जाएगा और पोर्टल के माध्यम से प्राधिकृति प्रमाण पत्र को स्वीकृत/नवीनीकृत माना जाएगा।

4. जब तक आवेदक को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया जाता है और इस तरह के इनकार के कारण को लिखित रूप में नहीं दिया जाता है, तब तक पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृति प्रमाण पत्र प्रदान करने या नवीनीकरण के लिए किसी भी आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

5. प्रदान किया गया या नवीनीकृत प्राधिकृति प्रमाणपत्र प्रारंभ में प्रदान किए गए या नवीनीकरण की तारीख से 5 वर्षों के लिए वैध होगा।

6. प्राधिकृति प्रमाण पत्र को पंजीकृत वाहन के अधिकृत डीलर के व्यवसाय स्थल पर विशिष्ट स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।

55ख. पंजीकृत वाहनों के अधिकृत डीलर की वाहन की आपूर्ति के तथ्य के बारे में पंजीकरण प्राधिकारी को सूचना-

1. मोटर वाहन का पंजीकृत स्वामी पंजीकरण प्राधिकारी को, वर्तमान में वाहन जिसके पास पंजीकृत है, पंजीकृत वाहनों के अधिकृत डीलर को पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किए गए उसके और पंजीकृत वाहनों के अधिकृत डीलर द्वारा हस्ताक्षरित प्रपत्र 29ग के माध्यम से वाहन की आपूर्ति के तथ्य के बारे में सूचित करेगा। पोर्टल पर प्रपत्र 29ग को सफलतापूर्वक जमा करने पर पोर्टल के माध्यम से पावती संख्या स्वतः उत्पन्न हो जाएगी।

2. मोटर वाहन का पंजीकृत स्वामी पंजीकरण प्राधिकारी, जिसे उप नियम (1) के तहत सूचना दी गई है, को पंजीकृत वाहनों के अधिकृत डीलर से वाहन वापस लेने के तथ्य को पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किए गए उसके और पंजीकृत वाहनों के अधिकृत डीलर द्वारा हस्ताक्षरित प्रपत्र 29गक के माध्यम से सूचित करेगा। पोर्टल पर प्रपत्र 29 गक को सफलतापूर्वक जमा करने पर पोर्टल के माध्यम से पावती संख्या स्वतः उत्पन्न हो जाएगी।

55ग. पंजीकृत वाहनों के अधिकृत डीलर की शक्ति और जिम्मेदारी-

1. प्रपत्र 29ग जमा करने के बाद, पंजीकृत वाहनों के अधिकृत डीलर को मोटर वाहन का स्वामी माना जाएगा और वह ऐसे वाहन से संबंधित सभी घटनाओं के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

2. पंजीकृत वाहनों के अधिकृत डीलर प्रपत्र 29ग के माध्यम से अपने अधिकार वाले वाहनों के संबंध में पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण/फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन करने के लिए सक्षम होंगे।

3. पंजीकृत वाहनों के अधिकृत डीलर पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र 29घ में सूची का रिकॉर्ड रखेंगे।

55घ. पंजीकृत वाहनों के अधिकृत डीलर के अधिकार वाले मोटर वाहन का उपयोग जिन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है - पंजीकृत वाहनों का अधिकृत डीलर, उसके अधिकार वाले किसी भी वाहन का उपयोग नियम 55ख के तहत सार्वजनिक स्थान पर निम्नलिखित के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेगा:

(क) उचित परीक्षण या उसके द्वारा प्रदर्शन या प्रदर्शनी के लिए या किसी संभावित खरीदार के लाभ के लिए; या

(ख) पेंटिंग या मरम्मत के उद्देश्य से सेवा केंद्र में जाने या वापस आने के लिए; या

(ग) पंजीकरण प्रमाण पत्र / फिटनेस प्रमाण पत्र / पीयूसीसी के नवीनीकरण के उद्देश्य से वाहन निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र या पीयूसी केंद्र में जाने या वापस आने के लिए;

बशर्ते कि सार्वजनिक स्थान पर ऐसे वाहनों के उपयोग के दौरान, प्राधिकृति प्रमाण पत्र को वाहन के विशिष्ट भाग पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, जिसे आसानी से 15 मीटर की दूरी से पढ़ा जा सके।

55ड. वाहन यात्रा रजिस्टर का रखरखाव - (1) पंजीकृत वाहनों का अधिकृत डीलर पोर्टल पर प्रपत्र 29ड. में एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर बनाए रखेगा।

(2) प्राधिकृति प्रमाण पत्र धारक या उसके प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक यात्रा के शुरू होने से पहले प्रपत्र 29ड. में निर्दिष्ट विवरण को, कॉलम 7 में वापसी के समय को छोड़कर, दर्ज किया जाएगा और ऐसे वाहन के लिए प्रपत्र 29ड. का प्रिंट आउट यात्रा के दौरान वाहन के चालक द्वारा अपने पास रखा जाएगा और अधिनियम के तहत दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की मांग करने के लिए अधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा मांगने पर उसे प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) प्राधिकृति प्रमाण पत्र धारक, यात्रा के अंत में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र 29ड. के कॉलम 7 को भरेगा और पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए प्रपत्र 29ड. उपलब्ध रहेगा।

55च. प्राधिकृति प्रमाणपत्र को खारिज या रद्द करना - यदि पंजीकरण प्राधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि किसी भी प्राधिकृति प्रमाण पत्र के धारक ने नियम 55ग से 55ड. के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है, तो वह उचित सबूत के साथ उक्त प्रावधानों के गैर-अनुपालन के तथ्य के बारे में धारा 213 के तहत स्थापित मोटर वाहन विभाग के प्रमुख को रिपोर्ट करेगा। प्राधिकृति प्रमाण पत्र धारक को उसका पक्ष रखने का अवसर देने के बाद, विभाग के प्रमुख अपने पास रखे प्राधिकृति प्रमाण पत्र को खारिज या रद्द कर सकते हैं।

55छ अपील - नियम 55क या 55च के तहत किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे किसी भी आदेश मिलने के तीस दिनों के भीतर, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अधिकृत संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।

55ज अपील के लिए प्रक्रिया - (1) नियम 55छ में निर्दिष्ट अपील को डुप्लीकेट में, पंजीकरण प्राधिकारी के आदेश पर आपत्तियों के आधार को निर्धारित करते हुए और नियम 81 में निर्दिष्ट उचित शुल्क और जिसके विरुद्ध अपील की गई है उस आदेश की एक प्रमाणित प्रति के साथ एक ज्ञापन के रूप में प्राथमिकता दी जाएगी।

(2) अपील प्राधिकारी, पक्षकारों को उनका पक्ष रखने का अवसर देने के बाद और ऐसी जांच के बाद, यदि कोई हो, जैसा वह आवश्यक समझे, ऐसी अपील प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर उचित आदेश पारित करता है।"

6. उक्त नियमावली में नियम 58 के उप नियम (1) में "मोटर वाहन के संबंध में किया जाएगा" शब्दों के पश्चात् "मोटर वाहन के स्वामी या पंजीकृत वाहनों के अधिकृत डीलर द्वारा" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा।

7. उक्त नियमावली के नियम 81 की तालिका में क्रमांक 1 के पश्चात् निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“1क	प्राधिकृति प्रमाणपत्र प्रदान करना या नवीनीकरण	पच्चीस हजार रु.	55क(2)	
3A	नियम 55छ के तहत अपील	एक हजार रु.	55ज	
4	पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना या नया पंजीकरण चिन्ह् प्रदान करना:-		47(1) 54(1) 76(1) 78(1)	
	(क) अशक्त यात्री गाड़ी	पचास रु.		
	(ख) मोटर साइकिल	तीन सौ रु.		
	(ग) तिपहिया/क्वाड्रीसाइकिल	छह सौ रु.		
	(घ) हल्के मोटर वाहन	छह सौ रु.		

	(ड.) मध्यम माल / यात्री वाहन	एक हजार रु.		
	(च) भारी माल / यात्री वाहन	एक हजार पांच सौ रु.		
	(छ) आयातित मोटर वाहन (दो या तीन पहियों वाले)	दो हजार पांच सौ रु.		
	(ज) आयातित मोटर वाहन (चार या अधिक पहियों वाले)	पांच हजार रु.		
	(i) कोई अन्य वाहन जिसका ऊपर उल्लेख नहीं है	तीन हजार रु.		
	टिप्पण 1: यदि प्रपत्र 23-क में जारी किया गया/ नवीनीकृत पंजीकरण प्रमाण पत्र बिना चिप वाला लैमिनेटेड कार्ड या स्मार्ट कार्ड किस्म में है, तो दो सौ रुपये का अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा।			
4B	पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण:-		52(1)	
	(क) अशक्त यात्री गाड़ी	पचास रु.		
	(ख) मोटर साइकिल	एक हजार रु.		
	(ग) तिपहिया/क्वाड्रीसाइकिल	दो हजार पांच सौ रु.		
	(घ) हल्के मोटर वाहन	पांच हजार रु.		
	(ड.) आयातित मोटर वाहन (दो या तीन पहियों वाले)	दस हजार रु.		
	(च) आयातित मोटर वाहन (चार या अधिक पहियों वाले)	चालीस हजार रु.		
	(छ) कोई अन्य वाहन जिसका ऊपर उल्लेख नहीं है	छह हजार रु.		
	टिप्पण 1: यदि प्रपत्र 23-क में जारी किया गया/ नवीनीकृत पंजीकरण प्रमाण पत्र बिना चिप वाला लैमिनेटेड कार्ड या स्मार्ट कार्ड किस्म में है, तो दो सौ रुपये का अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा। टिप्पण 2: पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के आवेदन में विलंब की स्थिति में मोटर साइकिलों के संबंध में प्रत्येक माह या उसके भाग के लिए तीन सौ रुपए का अतिरिक्त शुल्क और अन्य गैर परिवहन वाहनों के अन्य वर्गों के संबंध में प्रत्येक माह या उसके भाग के विलंब के लिए पांच सौ रुपए का शुल्क वसूला जाएगा।			”

8. उक्त नियमावली के प्रपत्र 26 में, -

(1) "मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने............ (तारीख) को पंजीकरण प्रमाण पत्र के खो जाने पर ध्यान देने के तुरंत बाद इसके बारे में पुलिस को शिकायत दर्ज की है (प्रतिलिपि संलग्न)। मैं घोषणा करता हूं कि पंजीकरण प्रमाण पत्र खो गया है / नष्ट हो गया है और इसे किसी भी एजेंसी द्वारा जब्त नहीं किया गया है और न ही इसे किसी प्राधिकारी द्वारा खारिज या रद्द किया गया है" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(2) शब्दों "आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान" के स्थान पर "मोटर वाहन के स्वामी या पंजीकृत वाहनों के अधिकृत डीलर के हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर/ ई हस्ताक्षर" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

9. उक्त नियमावली के प्रपत्र 28 में, -

(क) शब्दों "पंजीकृत स्वामी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान" के स्थान पर "मोटर वाहन के स्वामी या पंजीकृत वाहनों के अधिकृत डीलर के हस्ताक्षर / डिजिटल हस्ताक्षर / ई हस्ताक्षर" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा,

(ख) कार्यालय पृष्ठांकन में "सेवा में, पंजीकृत स्वामी" शब्दों के स्थान पर "सेवा में, मोटर वाहन के स्वामी/पंजीकृत वाहनों के अधिकृत डीलर" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा,

10. उक्त नियमावली के प्रपत्र 29 में, "पंजीकृत स्वामी (हस्तांतरणकर्ता) के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान" शब्दों के स्थान पर "मोटर वाहन के स्वामी या पंजीकृत वाहनों के अधिकृत डीलर के हस्ताक्षर / डिजिटल हस्ताक्षर / ई हस्ताक्षर" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा,

11. उक्त नियमावली के प्रपत्र 30 में, -

(क) शब्दों "हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान" के स्थान पर "मोटर वाहन के स्वामी या पंजीकृत वाहनों के अधिकृत डीलर के हस्ताक्षर / डिजिटल हस्ताक्षर / ई हस्ताक्षर" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा,

(ख) भाग III-कार्यालय पृष्ठांकन में शब्दों "सेवा में, हस्तांतरणकर्ता" के स्थान पर "सेवा में, मोटर वाहन के स्वामी/पंजीकृत वाहनों के अधिकृत डीलर" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा,

12. उक्त नियमावली के प्रपत्र 29 के पश्चात् निम्नलिखित प्रपत्रों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"प्रपत्र 29क"

[नियम 55क (2) देखें]

प्राधिकृति प्रमाणपत्र प्रदान करने या नवीनीकरण के लिए आवेदन का प्रपत्र

सेवा में,

पंजीकरण प्राधिकारी

मैं/हम ………………………………………………………………………………….. एतदद्वारा प्राधिकृति प्रमाणपत्र प्रदान करने/नवीनीकरण के लिए आवेदन करते हैं: -

1.	आवेदक का नाम	…………………………………………………………
2.	का बेटा/पत्नी/बेटी	…………………………………………………………
3.	आवेदक का पूरा पता	…………………………………………………………
4.	व्यवसाय का स्थान- (संबद्ध किए जाने वाले क्षेत्र की ले आउट योजना)	
5	आवेदक का मोबाइल नंबर	
6	आवेदक का ई-मेल	
7	निगमन का प्रमाण पत्र या दुकान अधिनियम पंजीकरण या उद्यम आधार	
8	वैध वस्तु और सेवा कर पंजीकरण	
9	वैध पैन (स्थायी खाता संख्या)	
10	भुगतान की गई शुल्क की राशि	…………………………………………………………
11	यदि आवेदन नवीनीकरण के लिए है, तो आवेदन किए गए नवीनीकरण के संबंध में प्राधिकृति संख्या,जारी करने की तारीख और समाप्त होने की तारीख इंगित करें	…………………………………………………………

घोषणा

मैं/हम...........एतद्द्वारा घोषणा करता/करती/करते हैं कि प्रामाणिक व्यापार प्रयोजनार्थ मेरे लिए प्राधिकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है और मेरे अधिकार के वाहनों के संबंध में किसी भी घटना के लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और मैं पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वाहनों की सूची को बनाए रखूंगा।

स्थान..........................

आवेदक के हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर/ई-हस्ताक्षर

दिनांक..........................

प्रपत्र 29ख

[नियम 55क (1) देखें]

प्राधिकृति प्रमाण पत्र

1.	प्राधिकृति प्रमाण पत्र धारक का पूरा नाम	
2.	प्राधिकृति प्रमाण पत्र धारक का पता	
3.	प्राधिकृति प्रमाण पत्र धारक के व्यवसाय का स्थान	
4.	सौंपी गई प्राधिकृति प्रमाण पत्र संख्या	
5.	प्राधिकृति प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख	
6.	प्राधिकृति प्रमाण पत्र की समाप्त होने की तारीख	
7.	भुगतान की गई शुल्क की राशि	

दिनांक...

स्थान...

पंजीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर

प्रपत्र 29ग

[नियम 55ख (1) देखें]

पंजीकरण प्राधिकारी को पंजीकृत वाहनों के अधिकृत डीलर को वाहन की आपूर्ति के तथ्य के बारे में सूचना

पावती संख्या .... (पोर्टल के माध्यम से स्वतः तैयार किए जाने के लिए)

सेवा में,

पंजीकरण प्राधिकारी.. (जिसके अधिकार क्षेत्र में वाहन वर्तमान में पंजीकृत है)

मैं.......................निवासी...ने...........वर्ष की तारीख.......................................को आपूर्ति किए गए मेरे वाहन संख्या............................मेक...................... चेसिस सं................................ बैटरी चलित वाहनों के मामले में इंजन संख्या या मोटर संख्या.................................... को श्री/श्रीमती/सुश्री (पंजीकृत वाहनों के अधिकृत डीलर) .... जिनका व्यवसाय स्थान...प्राधिकृति प्रमाण पत्र सं................., ...के द्वारा जारी किया गया.................तक वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र, पीयूसीसी और बीमा प्रमाण पत्र सौंप दिया है।

घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूं कि मेरे वाहन पर किसी कर की मांग लंबित नहीं है और वाहन पर कोई चालान भी लंबित नहीं है। वाहन, किसी भी परमिट/वाहन के परमिट के तहत कवर नहीं है और प्राधिकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी को सौंपा जाता है। वाहन, किसी आपराधिक मामले या निषिद्ध माल के परिवहन से संबंधित मामले में संलिप्त नहीं है और वाहन पर दुर्घटना का कोई मामला भी लंबित नहीं है। वाहन, किराया-खरीद/पट्टे/उपप्राधीयन के समझौते के तहत जब्त नहीं किया गया है। मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार, वाहन सुपरदारी नहीं है और सभी भारों से मुक्त है और दी गई जानकारी सत्य है। किसी भी गलत जानकारी या जानकारी को छिपाने के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार ठहराने का वचन देता हूं और मैं एतदद्वारा पंजीकृत वाहनों के उपरोक्त अधिकृत डीलर को अपनी ओर से मोटर वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण/फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण, डुप्लिकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन करने के लिए अधिकृत करता हूं।

मोटर वाहन के पंजीकृत स्वामी के

हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर/ई-हस्ताक्षर

मेरे द्वारा उपरोक्त वाहन, उसका पंजीकरण प्रमाण पत्र, पीयूसीसी और बीमा प्रमाण पत्र को अपने अधिकार में लिया गया है और अब से इस वाहन के संबंध में किसी भी घटना के लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

दिनांक.................................

पंजीकृत वाहनों के अधिकृत डीलर के

हस्ताक्षर /डिजिटल हस्ताक्षर/ई-हस्ताक्षर

प्रपत्र 29गक

[नियम 55ख (2) देखें]

पंजीकृत वाहनों के अधिकृत डीलर से वाहन वापस लेने के बारे में पंजीकरण प्राधिकारी को सूचना

पावती संख्या……………………… (पोर्टल के माध्यम से स्वतः तैयार की जाएगी)

सेवा में,

पंजीकरण प्राधिकारी.. .... (जिनको प्रपत्र29ग में सूचना दी गई है)

मैं...................... निवासी..ने.......... वर्ष की तारीख………………………………... को मेरे वाहन संख्या............................मेक..................... चेसिस सं................................ बैटरी चलित वाहनों के मामले में इंजन संख्या या मोटर संख्या................................... को श्री/श्रीमती/सुश्री (पंजीकृत वाहनों के अधिकृत डीलर) .... जिनका व्यवसाय स्थान..प्रपत्र 29ग में सूचना की तारीख.................प्रपत्र 29ग के माध्यम से सौंपे गए वाहन की पावती संख्या.....................के द्वारा जारी किया गया.................तक वैध मेरा वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र, पीयूसीसी और बीमा प्रमाण पत्र वापस ले लिया है।

घोषणा

उपरोक्त जानकारी सत्य है और किसी भी गलत जानकारी या जानकारी छिपाने के लिए मैं स्वयं को जिम्मेदार ठहराने का वचन देता हूं।

मोटर वाहन के पंजीकृत स्वामी के

हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर /ई हस्ताक्षर

मेरे द्वारा उक्त वाहन, उसका पंजीकरण प्रमाण पत्र, पीयूसीसी, बीमा प्रमाण पत्र मोटर वाहन के पंजीकृत स्वामी को दिया गया है।

दिनांक..................................

पंजीकृत वाहनों के अधिकृत डीलर के

हस्ताक्षर /डिजिटल हस्ताक्षर/ई हस्ताक्षर

प्रपत्र 29घ

[नियम 55ग (3) देखें]

वाहन पोर्टल पर सूची का डिजिटल रजिस्टर रखा जाएगा

1. प्राधिकृति प्रमाण पत्र संख्या
2. पंजीकृत वाहनों के अधिकृत डीलर का नाम
3. व्यवसाय के स्थान का पता
4. ज़िला
5. राज्य

क्र.सं.	वाहन पंजीकरण संख्या	वाहन वर्ग	चेसिस नंबर	इंजन संख्या	प्रपत्र 29ग में सूचना की तारीख	पंजीकरण प्राधिकारी, जिसे प्रपत्र 29ग में सूचना दी गई है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वाहन की बिक्री की तारीख	स्वामित्व के हस्तांतरण की तारीख	आरटीओ, जहां हस्तांतरण प्रभावित हुआ	जिस तारीख को वाहन मूल मालिक को वापस लौटाया जाता है	प्रपत्र 29ग में जमा करने पर उत्पन्न पावती संख्या	प्रपत्र 29गक जमा करने पर उत्पन्न पावती संख्या	

प्रपत्र 29ड.

[नियम 55ड. देखें]

इलेक्ट्रॉनिक वाहन यात्रा रजिस्टर

1. प्राधिकृति प्रमाण पत्र संख्या
2. पंजीकृत वाहनों के अधिकृत डीलर का नाम
3. व्यवसाय के स्थान का पता

4. ज़िला

5. राज्य

दिनांक	वाहन की पंजीकरण संख्या	प्रयोजन, जिसके लिए वाहन भेजा गया	चालक का नाम	चालक की लाइसेंस संख्या	वाहन द्वारा परिसर छोड़ने का समय और तारीख	वाहन के परिसर में वापस लौटने का समय और तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)"

[सं. आर टी -11036/16/2022-एमवीएल (भाग I)]

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.........., दिनांक........ द्वारा प्रकाशित की गई थी और पिछली बार अधिसूचना सं. .... दिनांक .... के माध्यम से संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2022

G.S.R. 693(E).—AThe following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (p) of section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL, Transport & Toll), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called as Central Motor Vehicles (…. Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in Rule 52,

(1) after the words “owner of a motor vehicle” the words “or authorized dealer of registered vehicles” shall be inserted.

(2) an explanatory paragraph shall be inserted, "An authorised dealer of registered vehicles shall be a dealer who is authorised to engage in sale or purchase of registered vehicles."

3. In the said rules, in rule 53, for sub rule (1), the following sub rule shall be substituted, namely: -

“(1) If at any time, the certificate of registration is lost or destroyed the owner of a motor vehicle or authorized dealer of registered vehicles shall intimate the fact in writing to any registering authority in the state in which vehicle is currently registered.”

4. In the said rules, in rule 55, in sub rule (1), for the words “the transferor” the words “the owner of a motor vehicle or authorized dealer of registered vehicles” shall be substituted.

5. In the said rules, after Rule 55, following Rules shall be inserted namely –

"**55A. Authorisation of dealers of registered vehicles-**

1. No person shall act as dealer of a registered vehicle without a valid authorization certificate issued in Form 29 B by the registering authority in whose jurisdiction, he has place of business.
2. An application for grant or renewal of authorization certificate for sale of registered vehicle shall be made electronically on portal in Form 29 A, accompanied by appropriate fee as specified in rule 81, to the registering authority, in whose jurisdiction he has place of business.
3. On receipt of an application under sub rule (2), the registering authority may, if satisfied, issue to the applicant authorisation certificate, electronically on portal, in downloadable and printable form, in Form 29B within thirty days from the date of receipt of such an application. If application is not disposed within said period of thirty days, the application shall be deemed to be approved and authorisation certificate shall be deemed to be granted/renewed through the portal.
4. No application for grant or renewal of authorization certificate shall be refused by the registering authority unless the applicant is given an opportunity of being heard and reasons of such refusal are given in writing.
5. An authorization certificate granted or renewed shall be valid for 5 years from the date of initial grant or renewal.
6. Authorisation certificate shall be exhibited at conspicuous place, at the business place of authorised dealer of registered vehicles.

55B. Intimation to the registering authority, about the fact of delivery of vehicle to the authorized dealer of registered vehicles-

1. Registered owner of a motor vehicle shall intimate the registering authority, with whom the vehicle is currently registered, the fact of delivery of vehicle to authorized dealer of registered vehicles, through Form 29C, submitted electronically on portal, dually signed by him and authorized dealer of registered vehicles. On successful submission of Form 29 C on the portal, acknowledgement number shall be auto generated through the portal.
2. Registered owner of a motor vehicle shall intimate the registering authority, to whom the intimation under sub rule (1) has been given, the fact of taking back vehicle from authorized dealer of registered vehicles, through Form 29CA, submitted electronically on portal, dually signed by him and authorized dealer of registered vehicles. On successful submission of Form 29 CA on the portal, acknowledgement number shall be auto generated through the portal.

55C. Power and responsibility of authorized dealer of registered vehicles-

1. After submission of Form 29 C, authorized dealer of registered vehicles shall be deemed owner of the motor vehicle and shall be solely responsible for all incidents related to such vehicle.
2. Authorized dealer of registered vehicles shall be competent to apply for renewal of registration certificate/ renewal of certificate of fitness, duplicate registration certificate, NOC, transfer of ownership of motor vehicle, in relation to vehicles in his possession through Form 29C.
3. Authorized dealer of registered vehicles shall maintain the record of inventory electronically, in Form 29D on portal.

55D. Purposes for which motor vehicle in possession of authorized dealer of registered vehicles may be used. – An authorized dealer of registered vehicles shall not use any vehicle which is in his possession under rule 55B in a public place for any purpose other than the following:

(a) for a reasonable trial or demonstration by or exhibition by or for the benefit of a prospective purchaser; or

(b) for proceeding to or returning from a service center with the objective of painting or for repairs; or

(c) for proceeding to or returning from vehicle inspection and certification center or PUC center for the purpose of renewal of certificate of registration/ certificate of fitness/ PUCC;

Provided that during use of such vehicles in public place, authorisation certificate shall be exhibited legibly on conspicuous part of vehicle, which can be easily readable from a distance of 15 meters.

55E. Maintenance of vehicle trip register. - (1) An authorized dealer of registered vehicles shall maintain an electronic register in Form 29E on the portal.

(2) The particulars referred to in Form 29E, except the time of return under column 7, shall be entered before the commencement of each trip by the holder of the authorisation certificate or his representative and print out of Form 29E for such vehicle shall be carried during the trip by the driver of the vehicle and shall be produced on demand by any officer empowered to demand production of documents by or under the Act.

(3) The holder of an authorisation certificate shall, at the end of a trip, fill in column 7 of Form 29E electronically, and Form 29E shall be open for inspection by the registering authority.

55F. Suspension or cancellation of authorisation certificate. - If the registering authority has reason to believe that the holder of any authorisation certificate has not complied with the provisions of rules 55C to 55E, it shall report the fact of non-compliance of the said provisions along with reasonable proof, to the head of the Motor Vehicles department established under section 213. The head of the department may, after giving the holder of authorisation certificate an opportunity of being heard, suspend or cancel the authorisation certificate held by him.

55G Appeal. - Any person aggrieved by an order under rule 55A or 55F may, within thirty days of the receipt of any such order, appeal to the concerned authority as authorised by the state government/ UT.

55H Procedure for appeal. - (1) The appeal referred to in rule 55G shall be preferred in duplicate in the form of a memorandum, setting forth the grounds of objections to the order of the registering authority and shall be accompanied by appropriate fee as specified in rule 81 and a certified copy of the order appealed against.

(2) The appellate authority, after giving an opportunity to the parties to be heard and after such enquiry, if any, as it deems necessary, pass appropriate orders within the period of thirty days from the date of receipt of such an appeal."

6. In the said rules, in rule 58, in sub rule (1), after the words “in respect of a motor vehicle shall be made” the words “by the owner of a motor vehicle or authorized dealer of registered vehicles” shall be inserted.

7. In the said rules, in rule 81, in the table, after serial number 1, the following shall be substituted, namely:

“1A	Grant or renewal of authorisation certificate	Twenty Five thousand rupees	55 A (2)	
3A	Appeal under rule 55G	One thousand rupees	55 H	
4	issue of certificates of registration or assignment of new registration mark:-		47(1) 54(1) 76(1) 78(1)	
	(a) Invalid carriage	Fifty rupees		
	(b) Motor cycle	Three hundred rupees		
	(c) Three wheeler / Quadricycle	Six hundred rupees		
	(d) Light motor vehicle	Six hundred rupees		
	(e) Medium Goods/ Passenger vehicle.	One thousand rupees		
	(f) Heavy Goods/ Passenger vehicle.	One thousand five hundred rupees		
	(g) Imported motor vehicle (Two or Three wheeled)	two thousand five hundred rupees		
	(h) Imported motor vehicle (Four or more wheeled):	Five thousand rupees		
	(i) Any other vehicle not mentioned above	three thousand rupees		
	Note 1: Additional fee of two hundred rupees shall be levied if the certificate of registration is a laminated card without chip or smart card type/ issued or renewed in Form 23A.			
4B	Renewal of certificate of registration:-		52(1)	
	(a) Invalid carriage	Fifty rupees		
	(b) Motor cycle	One thousand rupees		
	(c) Three wheeler/Quadricycle	two thousand five hundred rupees		
	(d) Light motor vehicle	Five thousand rupees		
	(e) Imported motor vehicle (Two or Three wheeled)	Ten thousand rupees		

	(f) Imported motor vehicle (Four or more wheeled):	Forty thousand rupees		
	(g) Any other vehicle not mentioned above	Six thousand rupees		
	Note 1: Additional fee of two hundred rupees shall be levied if the certificate of registration is a laminated card without chip or smart card type/issued or renewed in Form 23A. Note 2: In case of delay in applying for renewal of certificate of registration, an additional fee of three hundred rupees for delay of every month or part thereof in respect of motor cycles and five hundred rupees for delay of every month or part thereof in respect of other classes of non-transport vehicles shall be levied.			”

8. In the said rules, in Form 26, -

(1) the words “I/We hereby declare that I/We on.......................... (date) have filed a complaint (copy enclosed) with the police about the loss of Certificate of Registration immediately after the loss has been noticed. I declare that the certificate of registration is lost/ destroyed and it has not been impounded by any agency nor it has been suspended or cancelled by any authority.” shall be inserted;

(2) for the words “Signature/ thumb impression of applicant” the words “Signature /digital signature/ e signature of owner of motor vehicle or authorized dealer of registered vehicles” shall be substituted.

9. In the said rules, in Form 28, -

(a) for the words “Signature or thumb-impression of Registered owner” the words “Signature /digital signature/ e signature of owner of motor vehicle or authorized dealer of registered vehicles” shall be substituted,

(b) in OFFICE ENDORSEMENT**,** for the words “To The Registered Owner” the words “To owner of motor vehicle / authorized dealer of registered vehicles” shall be substituted,

10. In the said rules, in Form 29, for the words “Signature or thumb-impression of the Registered Owner (Transferor)” the words “Signature /digital signature/ e signature of owner of motor vehicle or authorized dealer of registered vehicles” shall be substituted,

11. In the said rules, in Form 30, -

(a) for the words “Signature or thumb-impression of the Transferor” the words “Signature /digital signature/ e signature of owner of motor vehicle or authorized dealer of registered vehicles” shall be substituted,

(b) in **PART III-OFFICE ENDORSEMENT,** for the words “To The transferor” the words “To owner of motor vehicle/ authorized dealer of registered vehicles” shall be substituted,

12. In the said rules, after Form 29, the following Forms shall be inserted, namely: -

“FORM 29A

[See rule 55 A (2)]

Form of Application for grant or renewal of authorisation certificate

To

Registering authority

………………………………………………………………………………..

I/We hereby apply for grant of/renewal of an authorisation certificate: -

1.	Applicant's name	....
2.	Son/wife/daughter of	....
3.	Applicant's full address	....
4.	Place of business- (lay out plan with area to be attached)	

5	Applicant's mobile number	
6	Applicant's e mail address	
7	Certificate of Incorporation or Shop Act Registration or Udyam Aadhar	
8	Valid Goods and Services Tax registration	
9	Valid PAN (Permanent account number)	
10	Amount of fee paid	....
11	If the application is for renewal indicate the authorisation number, date of issue and date of expiry in respect of which renewal is applied	....

Declaration

I/We do hereby declare that the authorisation certificate is required by me for bona fide trade purpose and I shall be solely responsible for any incident regarding vehicles in my possession and I will maintain inventory of vehicles electronically on portal.

Place…........................

Signature/digital signature /e-signature of the applicant

Date…........................

FORM 29B

[See rule 55 A (1)]

Authorisation certificate

1.	Full name of Authorisation certificate holder	
2.	Address of Authorisation certificate holder	
3.	Place of business of Authorisation certificate holder	
4.	Authorisation certificate number assigned	
5.	Date of issue of authorisation certificate	
6.	Date of expiry of authorisation certificate	
7.	Amount of fee paid	

Date...

Place……………………………………………

Signature/digital signature of Registering authority

FORM 29C

[See rule 55 B (1)]

Intimation to the registering authority, about the fact of delivery of vehicle to authorized dealer of registered vehicles

Acknowledgement number……………………… (to be auto generated through portal)

To

The Registering Authority.. (In whose jurisdiction the vehicle is currently registered)

I............................... resident of.............................. have on the...................................day of the year............ delivered my Vehicle No... make.............Chassis No............. Engine number or motor number in the case of Battery Operated Vehicles ....to Shri/Smt/Ms.. (authorized dealer of registered vehicles) having place of business as...

Authorization certificate number ……………………………………

Issued by ………………………………

Valid up to……………………………..

The Registration Certificate, PUCC and Insurance Certificate have been handed over to him/her/them.

Declaration

I hereby declare that no demand of tax is pending on my vehicle nor any challan is pending on vehicle. Vehicle is not covered by any permit / permit of the vehicle is surrendered to permit granting authority. Vehicle is not involved in any criminal case or case regarding transportation of prohibited goods, nor any case of accident is pending on vehicle. Vehicle is not held under an agreement of hire-purchase/ lease/hypothecation. To the best of my knowledge and belief, the vehicle is not superdari and is free from all encumbrances and information furnished is true. I undertake to hold myself responsible for any inaccuracy or suppression of information and I hereby authorise above mentioned authorized dealer of registered vehicles to apply on my behalf for renewal of registration certificate/ renewal of certificate of fitness, duplicate registration certificate, NOC, transfer of ownership of motor vehicle.

Signature/digital signature /e-signature

of the Registered owner of motor vehicle

The above mentioned vehicle, its Registration Certificate, PUCC and Insurance Certificate have been taken in possession by me and I shall be solely responsible for any incident regarding this vehicle henceforth.

Date.................................

Signature /digital signature /e-signature

of authorized dealer of registered vehicles

FORM 29CA

[See rule 55 B(2)]

Intimation to the registering authority, about taking back of vehicle from authorized dealer of registered vehicles

Acknowledgement number………………………(to be auto generated through portal)

To

The Registering Authority.. (In whose whom intimation is given in Form 29C)

I............................... resident of................................ have on the..............................……….day of the year................................ taken back my Vehicle No... make.............Chassis No............. Engine number or motor number in the case of Battery Operated Vehicles ....from Shri/Smt... (authorized dealer of registered vehicles) having place of business as...

Date of intimation in Form 29 C………………………….

acknowledgement number of handing over vehicle through Form 29 C ------------

Authorization certificate number ……………………………………

Issued by ………………………………

Valid up to……………………………..

The Registration Certificate, PUCC and Insurance Certificate have been taken back by me.

Declaration

The above information is true to and I undertake to hold myself responsible for any inaccuracy or suppression of information.

Signature/digital signature/e signature

of the Registered owner of motor vehicle

The above mentioned vehicle its Registration Certificate, PUCC, Insurance Certificate have been given to the registered owner of motor vehicle by me.

Date.................................

Signature /digital signature/e signature

of authorized dealer of registered vehicles

FORM 29D

[See Rule 55C (3)]

Digital Register of inventory to be maintained on VAHAN portal

1. Authorisation certificate number
2. Name of authorized dealer of registered vehicles
3. Address of place of business
4. District
5. State

Sr. No.	Vehicle registration number	Vehicle Class	Chassis number	Engine Number	Date of Intimation in Form 29 C	Registering authority, to whom intimation in Form 29 C given
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Date of sale of vehicle	Date of Transfer of ownership	RTO where transfer was affected	Date on which vehicle is returned back to original owner	Acknowledgement number generated on submission of Form 29 C	Acknowledgement number generated on submission of Form 29 CA	

FORM 29E

[See rule 55E]

Electronic Vehicle trip register

1. Authorisation certificate number
2. Name of authorized dealer of registered vehicles
3. Address of place of business
4. District
5. State

Date	Registration number of the vehicle	Purpose for which vehicle sent out	Driver's name	License No. of driver	Time and date of leaving the premises by the vehicle	Time and date of returning back to the premises of the vehicle
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)"

[No. RT-11036/16/2022-MVL (Part.I)]
MAHMOOD AHMED Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number ……, dated ……… and last amended vide notification number …..…..(E), dated the…...

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA